

काय से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 29.11.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/11/22

उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 27.11.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27-12-22

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 1, 2, व 4 के बिकर कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अप्रार्थी सं 3 व 5 अगस्त 15 के सम्मन बाद तामिल होकर आत 12 जिले शाह प डिये शयें। विपक्षीगण को कितनी मतीवा कड-कड कर आवाजे फिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। उनके बिकर एक तरफ प्रार्थी डिये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्राठपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाह प डिया गया। पत्रावली पेश होकर नम्बर से कम थे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला नीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 204/22 प्रा0पग

ने जाचू 5/0 सीमा दरोगा निवारी- ककराडिया तहसील- माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

माती ऐली 0/0 औरा दरोगा निवारी- ककराडिया तहसील- माण्डल [कॉपी]
(मुस्तकील प्रमाण-रिपोर्ट)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक 27.12.22

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम ककराडिया पटवार हल्का ककराडिया तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 547, 549, 550, 556, कुल किता 07 रकबा 1.8717 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये मा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ही के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.09.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का शी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते गिर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ककराडिया पटवार ककराडिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 547, 549, 550, 556, 558, 769, 570 किता 07 रकबा 1.8717 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख क आलापन को 7.00/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने क्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार र पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा